न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 86/2014(जी.सी.एम.एस. 2014/00213)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गुरचरण सिंह पुत्र थमन सिंह जाति रामगढ़िया निवासी शेखसरपाल तहसील श्रीकरणपुर।		1. भगवाना राम पुत्र नत्थू राम जाति बावरी निवासी 1 एफ बी तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 एंव 136 भू–राजस्व अधिनियम–1956

तारीख रजू– 11.08.2014

उपस्थित:1.श्री रोशन लाल राठौड अधिवक्ता वादीगण
2.श्री सतीश अरोडा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

—निर्णय— दिनांक: 09.05.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता थमन सिंह पुत्र प्रेम सिंह ने चक 4 एफ बी के मुरब्बा नम्बर 43 के 4 बीघा 6 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 49 के 9 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 53 के 7 बीघा 6 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 58/16 की 2 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 58/22 की 1 बिस्वा कुल 12 बीघा 4 बिस्वा आराजी जरिये बैयनामा दिनांक 01.07.1963 को खरीद किया था। वादी के पिता के जीवनकाल में ही चक 4 एफ बी के मुरब्बा नम्बर 43 के 4 बीघा 6 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 53 के 7 बीघा 6 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 58/16 की 2 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 58/22 की 1 बिस्वा का नामान्तरण वादी के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। वादी के पिता द्वारा खरीद की दिनांक से पहले वादी के पिता का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त रहा है और वादी के पिता की मृत्यू के पश्चात् वादी का उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। जब वादी बैंक से कृषि ऋण के लिए हल्का पटवारी के पास नकल लेने गया तो वादी को मालूम हुआ कि चक 4 एफ बी के मुरब्बा नम्बर 49 के 9 बिस्वा आराजी का नामान्तरण नहीं हुआ है। वादी द्वारा अपने पिता के नाम बैयनामा दिखाने पर हल्का पटवारी द्वारा श्रीमान् जी के न्यायालय में चाराजोही करने को कहा। नकल में मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 5/2 के 9 बिस्वा आराजी की बजाय किला नम्बर 9/2 के 9 बिस्वा आराजी दर्ज है। जिसे वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। मिसल बन्दोबस्त के बाद मुरब्बा नम्बर 49 को मुरब्बा नम्बर 52 अंकित किया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावे :- कि चक 4 एफ बी के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 9/2 की बजाय मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 5/2 के 9 बिस्वा दुरूस्त कर वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश अरोडा उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी भगवाना राम के द्वारा चक 4 एफ बी के मुरब्बा नम्बर 43 के 4 बीघा 6 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 49 के 9 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 53 के 7 बीघा 6 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 58/16 की 2 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 58/22 की 1 बिस्वा कुल 12 बीघा 4 बिस्वा भूमि जरिए बैयनामा दिनांक 01.07.1963 को बेचान किया गया। उसके मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी द्वारा चक 4 एफ बी के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 5 के 9 बिस्वा का बेचान किया गया ना की मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 9/2 के 9 बिस्वा भूमि का बेचान किया गया। उक्त भूमि प्रतिवादी का न्यायालय द्वारा जारी डिक्री दिनांक 31.01.2012 द्वारा प्राप्त हुई है। जिसको वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि वादी का वादपत्र खारिज किया जाकर वादी को मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 9/2 की 0.114 हैक्टेयर भूमि

उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर

पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को दिलाये जाने के आदेश किए जावे। नकल जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश किया। सामिल मिसल किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर प्राप्त हुई सामिल मिसल की गई।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:

(A)आया कि क्या वादी चक 4 एफ बी के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 9/2 की बजाय मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 5/2 के 9 बिस्वा दुरूस्त कर वादी इस भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है?

(B)आया कि मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 9/2 के 9 बिस्वा भूमि जिस वादी न्यायालय की डिक्री दिनांक 31.01.2012 से प्राप्त हुई है, और इस भूमि पर वादी द्वारा तबरत कब्जा कर रखा है, से वादी को अतिक्रमी घोषित कर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को दिलाये जाने की डिक्री पारित की जावे?

(C)अनुतोष। जिसे प्रतिवादी संख्या 1

4. वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 4 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 की प्रति, प्रदर्श-2 चक 4 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2055 की प्रति, प्रदर्श-3 चक 4 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2059 की प्रति, प्रदर्श-4 चक 4 एफ बी की मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2027 ता 2036 की प्रति, प्रदर्श-5 चक 4 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2018 की प्रति, प्रदर्श-6 बैयनामा दिनांक 01.07.1963 की चित्र प्रतिलिपि, स्वंय वादी गुरचरण सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा पैरवी की हिदायत नहीं होने पर जिरह नहीं की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। प्रतिवादी संख्या 1 की साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। साक्ष्य स्टेट में पटवारी हल्का निर्मल सिंह व भू.अ.नि. सुधीर सिंह पालावत के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर साक्ष्य पेश की। जिरह वादी अधिवक्ता द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए।

5. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (A) : आया कि क्या वादी चक 4 एफ बी के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 9/2 की बजाय मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 5/2 के 9 बिस्वा दुरूस्त कर वादी इस भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी के द्वारा जरिए बैयनामा दिनांक 01.07.1963 की रूह से चक 4 एफ बी के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 9/2 के 9 बिस्वा के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 5/2 के 9 बिस्वा की दुरूस्ती करवाकर घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया है। प्रदर्श-6 बैयनामा दिनांक 01.07.1963 की चित्र प्रतिलिपि में मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 5/2 के 9 बिस्वा भूमि खरीद किया जाना अंकित नहीं है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार वादी के पिता द्वारा प्रतिवादी भगवाना राम से चक 4 एफ बी के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 5 के 9 बिस्वा भूमि खरीद की गई थी। चूकिं विक्रेता बावरी(अनुसूचित जाति) जाति का है तथा क्रेता रामगढिया(नॉनएससी) जाति का है। अतः स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य प्रतिबंधित श्रेणी में कृषि हस्तातंरित हुई है। लिहाजा वादी के द्वारा चक 4 एफ बी के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 5/2 के 9 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। परन्तु प्रदर्श-6 बैयनामा दिनांक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

01.07.1963 की चित्र प्रतिलिपि में मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 5/2 के 9 बिस्वा भूमि खरीद किया जाना अंकित नहीं है। अतः वादी इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (B)आया कि मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 9/2 के 9 बिस्वा भूमि जो प्रतिवादी को न्यायालय की डिक्री दिनांक 31.01.2012 से प्राप्त हुई है, और इस भूमि पर वादी द्वारा जबरन कब्जा कर रखा है, से वादी को अतिक्रमी घोषित कर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को दिलाये जाने की डिक्री पारित की जावे?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 1 की थी। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर साक्ष्य पेश नहीं की गई। इसलिए प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की साक्ष्य बन्द की गई। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी तनकी को साबित करने के लिए प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं की गई। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 निर्णीत की जाती है।

(C) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 विरूद्ध वादी व तनकी संख्या 2 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत नहीं समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 ,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6 7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम आर.ए.एस

गुरचरण सिंह बनाम भगवाना राम आदि

धारा अन्तर्गत 88, 92ए आरटीए मुकदमा नम्बर /2021

निर्णय दिनांक : 09.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनायतराल कताई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री रोशन लाल राठौड एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री सतीश अरोडा के** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 ,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 09.05.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**04**	**00**

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर